



## अंत्योदय-सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड  
कन्यादान योजना-हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

### पात्रता :

1. एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. कर्मकार द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
3. कर्मकार कथित करते हुए वचनबद्धता अपलोड करेगा कि कन्यादान के लिए वित्तीय सहायता प्रथम बार, द्वितीय बार या तृतीय बार ली गई है।

### उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. वित्तीय सहायता रू0 5,100/-

### आवश्यक दस्तावेज :

1. पहचान/नागरिकता का सबूत : आधार कार्ड
2. विवाह प्रमाण-पत्र
3. सुपुत्री की आयु का सबूत

### सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25/- और रू0 5/- प्रति मास (रू0 60/- प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10/-	रू0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा : 90 दिन